

[2023] 10 एस सी आर 977:2023 आई. एन. एस. सी. 584

ए.

बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओआरएस बनाम

बालजीत सिंह

(सिविल अपील सं.624 2017 का) 21 जून, 2023

बी.

[बी. वी. नागरत्ना और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-वित्तीय स्थिति के संबंध में मानदंड, पूरा न करना-

आयोजित:न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयन्यायालयकन्यायालयन्यायालयपन्यायालयन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयन्यायालय न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय

न्यायालयउन्यायालयमन्यायालयन्यायालयमन्यायालयन्यायालयदन्यायालयवन्यायालयन्यायालय
रन्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालय

न्यायालयनन्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालयकन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयनन्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालयतन्यायालय

न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयन्यायालयकन्यायालयन्यायालयरन्यायालय

न्यायालयपन्यायालयन्यायालयदन्यायालयन्यायालय

न्यायालयनन्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालय न्यायालयन्यायालयन्यायालय-

न्यायालयन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालयवन्यायालयन्यायालय

न्यायालयतन्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालय न्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयजन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयउन्यायालयमन्यायालयन्यायालयमन्यायालयन्यायालयदन्यायालयवन्यायालयन्यायालय

रन्यायालय न्यायालयन्यायालयन्यायालयजन्यायालयनन्यायालयन्यायालय

न्यायालयकन्यायालयन्यायालय न्यायालयसन्यायालयन्यायालय

न्यायालयखन्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालय

न्यायालयतन्यायालयन्यायालयतन्यायालय

न्यायालयन्यायालयन्यायालयमन्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालय न्यायालयन्यायालयन्यायालय

न्यायालयजन्यायालयन्यायालय न्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालयन्यायालय

[illegible]

न्यायालयजन्यायालयोन्यायालय न्यायालयमन्यायालयन्यायालयतन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयनन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालययन्यायालयन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयन्यायालयपन्यायालयन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय न्यायालयरन्यायालयहन्यायालयन्यायालय
न्यायालयथन्यायालयन्यायालय-
न्यायालयकन्यायालयन्यायालययन्यायालयोन्यायालयन्यायालयकन्यायालयिन्यायालय, न्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयवन्यायालयन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयन्यायालयसन्यायालयिन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयआन्यायालययन्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालयलन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयलन्यायालयबन्यायालयन्यायालयधन्यायालयिन्यायालय
य न्यायालयकन्यायालयन्यायालय न्यायालय 6 न्यायालय 0 न्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयशन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयन्यायालयथन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयोन्यायालय न्यायालयमन्यायालयन्यायालयतन्यायालयकन्यायालय
न्यायालय(विचारण न्यायालय न्यायालयकन्यायालयन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयिन्यायालयतन्यायालयन्यायालय)न्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयनन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालययन्यायालयन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयन्यायालयपन्यायालयन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय न्यायालयरन्यायालयहन्यायालयन्यायालय
न्यायालयथन्यायालयन्यायालय।न्यायालय

सी.

डी.

ई.

एफ.

मुकदमा-मांगी गई अनुकंपा नियुक्ति की राहत-आयोजित:अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता लागू योजना के अनुसार होनी चाहिए-न्यायालय न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में किसी योजना को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं या उसकी शर्तों को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं-यह अनुकंपा नियुक्ति-सेवा कानून से राहत की मांग करने वाले मुकदमे पर भी लागू होगा।

जी.

बलबीर कौर और एक अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण

लिमिटेड (2000) 6 एससीसी 493:[2000] 3 एससीआर 1053-प्रतिष्ठित।

महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) और अन्य बनाम कुंती तिवारी (2004) 7 एससीसी 271; एन. सी. संतोष बनाम राज्य

एच.

977 ए.

978 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

कर्नाटक (2019) 7 एस. सी. सी. 617; हिमाचल राज्य

प्रदेश बनाम प्रकाश चंद **(2019) 4 एससीसी 285:[2019] 1 एस. सी. आर. 533;**
इंडियन बैंक बनाम प्रोमिला **(2020) 2 एस. सी. सी. 729:[2020] 1 एस. सी. आर. 408;** हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम शशि कुमार (2019) 3 एससीसी 653:[2019] 2 एस. सी. आर. 432-निर्भर।

बी.

मोहम्मद.फारूक भाटी बनाम। **S.B.B.J. (2009) 2 SCT 353 -**

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[2000] 3 एससीआर 1053

प्रतिष्ठित

पैरा **8**

सी.

[2019] 1 एससीआर 533

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

[2020] 1 एससीआर 408

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

[2019] 2 एससीआर 432

पर भरोसा किया गया |

पैरा **15**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 624

डी.

2017.

2011 के आर. एस. ए. सं. 338 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 11.12.2015 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री प्रवीणा गौतम, पवन शुक्ला, सुश्री इंदिरा गोस्वामी, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

ई.

हिमांशु शर्मा, सुश्री अदिति शर्मा, राहुल जसोरिया, राम निवास शर्मा, अरुण राघव, नितिन शर्मा, दिग्विजय राघव, राजेश श्रीवास्तव, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

एफ.

न्याय

यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2011 के आर. एस. ए. No.338 दिनांक 11.12.2015 में पारित एक निर्णय और डिक्री से उत्पन्न होती है। उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2008 के सी. ए. No.75 में पारित प्रथम अपीलीय न्यायालय के दिनांक 16.12.2009 के फैसले को अपास्त करना दिया है और 2005 के मूल मुकदमे No.201 में पारित विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया है। नतीजतन, वाद में प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई राहत, यानी, अनुकंपा के आधार पर अपीलार्थी-बैंक में उसकी नियुक्ति के संबंध में घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान की गई है।

जी.

एच.

979

बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओआरएस बनाम बालजीत सिंह ए

ए.

2. संक्षेप में कहा गया है कि मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी के पिता, जो अपीलार्थी-बैंक में काम कर रहे थे, की 16.05.1999 पर मृत्यु हो गई। उस तारीख तक, अपीलकर्ता-बैंक के पास अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के लिए एक योजना थी जो 18.08.1998 पर जारी की गई थी।

बी.

3. यहाँ प्रत्यर्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु के बाद, उसकी माँ ने 1998 की योजना के तहत चपरासी के पद पर अनुकंपा के आधार पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। अनुकंपा नियुक्ति के लिए उक्त आवेदन 21.02.2000 पर दायर किया गया था। विचाराधीन उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी-बैंक ने 10.03.2004 पर अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के लिए एक और योजना की घोषणा की। चाहे जो भी हो, उसके पिता की मृत्यु के चार साल बाद, प्रत्यर्थी की ओर से 25.03.2004 पर अपीलार्थी-बैंक को एक और अभ्यावेदन दिया गया था ताकि बैंक के ध्यान में यह तथ्य लाया जा सके कि उसने मार्च 2004 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद, बैंक ने प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार किया और 08.06.2004 पर उसे अस्वीकार कर दिया। व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने बैंक के खिलाफ घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत की मांग करते हुए मूल मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में, अपीलार्थी-बैंक ने अपना लिखित बयान दायर विद्वान और मुकदमे के बाद, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने मुकदमे का फैसला सुनाया और निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्वान जाए।

सी.

डी.

ई.

4. आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, अपीलार्थी-बैंक ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने आई. डी. 2 दिनांकित अपने निर्णय द्वारा अपील की अनुमति दी और विचारण न्यायालय के डिक्री अपास्त करना कर दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपीलीय अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एक नियमित दूसरी अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील पर विचार करते हुए कानून के दो प्रश्नों को तैयार किया, लेकिन उसी का सार में उत्तर देते हुए, कानून के प्रश्नों पर एक साथ विचार किया और दिनांक 1 के विवादित निर्णय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया और विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को बहाल कर दिया। इसलिए, अपीलार्थी-बैंक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील।

एफ.

जी.

5. हमने अपीलार्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता Ms.Praveena गौतम और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता Mr.Himanshu शर्मा को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

एच.

980

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा करते हुए दो बार प्रस्तुत किया। पहले उदाहरण में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय मामले के तथ्यात्मक पहलुओं की सराहना किए बिना प्रत्यर्थी के पक्ष में कानून के दूसरे प्रश्न का उत्तर देने में सही नहीं था। उक्त तर्क को विस्तार से बताते हुए, उन्होंने बैंक द्वारा एक परिपत्र के माध्यम से जारी की गई योजना के विभिन्न खंडों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि प्रत्यर्थी "महत्वपूर्ण बिंदुओं" के खंड (सी) के भीतर एक उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति के संबंध में मानदंड को पूरा नहीं करता है, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार के मामले पर विचार करने के लिए लागू किया जाने वाला सूत्र देता है। इस संबंध में, उन्होंने प्रत्यर्थी द्वारा अपने मृत पिता की आय के साथ-साथ परिवार की आय का खुलासा करने वाले आवेदन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिवार की आय की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं था। 7. उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी की पात्रता के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा कानून के पहले प्रश्न पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के संबंध में खंड 'ए' की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी ने अपने पिता की मृत्यु की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर अपनी मैट्रिक पूरी नहीं की थी और इसलिए, एक क्लर्क के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं था और एक चपरासी के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिक योग्य था।

बी.

सी.

डी.

ई.

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, अर्थात् -

प्रबंधक (डी एंड पी. बी.) और अन्य बनाम कुंती तिवारी (2004) 7 एस. सी. सी. 271 में रिपोर्ट की गई, बलबीर कौर और एक अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (2000) 6 एस. सी. सी. 493 और एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य

एफ.

(2019) 7 एस. सी. सी. 617 में, जो इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक निर्णय है, इस प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्तुत करने के लिए कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती के लिए एक अपवाद है और किसी पक्ष को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वास्तव में, अपीलार्थी-बैंक के खिलाफ घोषणा की राहत और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करने वाला मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।

जी.

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया जिसने विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया था और अपीलकर्ता-बैंक को ए के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था।

एच.

981

बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओआरएस बनाम बालजीत सिंह ए

अनुकंपा के आधार पर प्रत्यर्थी। उन्होंने हमारे ध्यान में यह तथ्य लाया कि प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु की तारीख यानी 16.05.1999 पर, प्रत्यर्थी पहले ही 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और उसके बाद, उसने अपनी मैट्रिक भी प्राप्त कर ली और बैंक को सूचित किया कि उसके पास अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करने की पात्रता है। उन्होंने आगे कहा कि अनुकंपा के आधार पर दायर किया गया आवेदन बैंक द्वारा ही भरा गया था और उक्त आवेदन में बताए गए विवरण सटीक नहीं थे और प्रत्यर्थी अपीलार्थी-बैंक में एक उपयुक्त पद के लिए विचार किए जाने का हकदार था।

बी.

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार करने में देरी, इस तथ्य के साथ कि बिना किसी तर्क के आवेदन की अस्वीकृति ने प्रत्यर्थी के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया था और अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसलिए, इसे खारिज किया जा सकता है।

सी.

11. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि निम्नलिखित बिंदु हमारे विचार के लिए उत्पन्न होंगे:- (1) क्या उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने और प्रत्यर्थी के पक्ष में और बैंक के खिलाफ कानून के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को बहाल करने में उचित था?

डी.

ई.

(2) कौन सा आदेश?

12. यह दोहराना आवश्यक है कि अनुकंपा के आधार पर उम्मीदवार की नियुक्ति से कोई निहित अधिकार पैदा नहीं होता है और यह केवल तभी होता है जब कोई उम्मीदवार प्रासंगिक समय पर लागू योजना के सभी खंडों के तहत आता है कि उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

एफ.

13. बलबीर कौर बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (ऊपर)

यह देखा गया कि मृतक कर्मचारी के परिवार को तथ्यों पर मासिक भुगतान का आश्वासन देने वाली पारिवारिक लाभ योजना उक्त मामले में भारतीय इस्पात प्राधिकरण-प्रत्यर्थी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प नहीं थी। उक्त मामला अपने तथ्यों पर आगे बढ़ता है। उक्त निर्णय को तत्काल मामले के तथ्यों से अलग किया जा सकता है क्योंकि 1998 की योजना विशेष रूप से मासिक आय की गणना के लिए सूत्र के आवेदन पर अनुकंपा नियुक्ति लाभ के लिए एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करती है यदि वह कुल परिलब्धियों के 60 प्रतिशत से कम नहीं है जो मृतक अपने कार्यकाल के समय प्राप्त कर रहा था।

जी.

एच.

982

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

मृत्यु। उद्देश्य यह है कि यह केवल तभी हो सकता है जब किसी मृत कर्मचारी का परिवार गरीबी में हो और आजीविका का कोई स्रोत न हो जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक खुले निमंत्रण द्वारा नियुक्ति

के लिए सामान्य नियम का एक अपवाद है, इसलिए अपवाद का सहारा केवल तभी लिया जाना चाहिए जब उम्मीदवार और उसका परिवार गरीबी में हो ताकि कर्मचारी की मृत्यु पर तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।वैसा ही।

बी.

महाप्रबंधक (डी एंड पी. बी.) बनाम कुंती तिवारी (ऊपर) में देखा गया है।N.C.Santhosh बनाम कर्नाटक राज्य (ऊपर) में तीन न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने दोहराया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है न कि एक अधिकार और लागू नियमों और योजनाओं में निर्धारित मानदंडों को सभी उम्मीदवारों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर प्रचलित योजना के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।इसी तरह, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शशि कुमार, (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद होने के कारण, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की नीति के आधार पर पात्र बनाया जाता है और उन्हें राज्यों/नियोक्ताओं द्वारा बनाई गई नीति की शर्तों को पूरा करना चाहिए।

सी.

डी.

14. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाया था और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और पुष्टि की गई थी।हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रकाश चंद ने (2019) 4 एस. सी. सी. 285 में बताया कि यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नीति की शर्तों को अस्वीकार करने का निर्देश अस्वीकार्य है क्योंकि यह नीति की शर्तों को फिर से लिखने के बराबर होगा।तत्काल मामले में उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू की अनदेखी की गई है।एक समान नस में,

ई.

एफ.

इंडियन बैंक बनाम प्रोमिला ने (2020) 2 एस. सी. सी. 729 में बताया कि

यह पाया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता लागू योजना के अनुसार होनी चाहिए और अदालतें न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में किसी योजना को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं या उसकी शर्तों को जोड़ या घटा नहीं सकती हैं।उपरोक्त आदेश अनुकंपा नियुक्ति से राहत की मांग करने वाले मुकदमे पर भी लागू होगा।

जी.

15. इस संबंध में, के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शशि कुमार में इस न्यायालय ने रिपोर्ट की

(2019) 3 एस. सी. सी. 653 जिसमें अनुच्छेद 18-19 में उपरोक्त शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया गया है।

एच.

983

बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओआरएस बनाम बालजीत सिंह ए

ए.

16. इसलिए उस योजना पर विचार करना आवश्यक है जो तत्काल मामले में प्रत्यर्थी पर लागू होती है। यह पक्षों के बीच विवाद में नहीं है कि 18.09.1998 दिनांकित योजना जो एक परिपत्र के माध्यम से जारी की गई है, प्रत्यर्थी के मामले में लागू होती है। उक्त योजना के तहत, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आय के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता और योग्यता दोनों निर्धारित की गई हैं और उन पर नियोक्ता द्वारा विचार किया जाना है। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित करना उपयोगी होगा जिसने कानून के दो प्रश्न उठाए हैं जो इस प्रकार हैं:

बी.

i) क्या अपीलार्थी के मामले पर उस योजना की तुलना में अनुकंपा रोजगार के लिए विचार किया जा सकता है जो उस समय प्रचलित थी जब सुखबीर सिंह की मृत्यु हुई थी या उसके बाद?

सी.

(ii) क्या पारिवारिक पेंशन की अग्रिमता अनुकंपा रोजगार के मामले में अनुपयुक्त होने का आधार हो सकती है?

डी.

17. दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मोहम्मद मामले में एक निर्णय का उल्लेख किया है। फारूक भाटी बनाम। (2009) 2 एस. सी. टी. 353 में रिपोर्ट की गई, जिसने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा था कि परिवार की आय के संबंध में आपत्ति को वास्तव में अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने के लिए आपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक कानून के पहले प्रश्न का संबंध है, उच्च न्यायालय ने केवल यह कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने की प्रभावी तिथि वह तिथि होगी जिस दिन प्रतिवादी के पिता की मृत्यु हो गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि 1998 की योजना उस तारीख से लागू थी जब प्रतिवादी के पिता की मृत्यु हो गई थी और

इसलिए उक्त योजना लागू होगी। हालाँकि, हम पाते हैं कि कानून के प्रश्नों का उत्तर देते समय, उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में गलती की है।

ई.

एफ.

18. इस संबंध में, हम अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार की जाने वाली पात्रता के साथ-साथ प्रत्यर्थी की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के मुद्दे पर विचार करना चाहेंगे। योजना का प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

जी.

“ख) नौकरी में मर रहे कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए माना जा सकता है बशर्ते परिवार के पास आजीविका का साधन न हो और परिवार की स्थिति दयनीय हो।

एच.

984

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ग) आय के लिए गणना सूत्र:

परिवार की वित्तीय स्थिति या आय तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित सूत्र का पालन किया जाएगा:

अंतिम लाभ के रूप में प्राप्त कुल निम्नलिखित राशियाँ उपलब्ध संसाधनों का निर्माण करेंगी:
बी.

आई. भविष्य निधि का शेष।

ii. ग्रैच्युटी।

iii. अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ।

iv. दूसरों से ऋण लेकर किए गए निवेश।

सी.

उपरोक्त में से निम्नलिखित बकाया वित्तीय देनदारियों की कटौती की जानी चाहिए:

आई. आवास ऋण

ii.वाहन ऋण

डी.

iii.बैंक से अन्य ऋण

iv.दूसरों से ऋण

परिवार के पास शेष शुद्ध राशि पर पहुंचने के बाद, ब्याज @11% को परिवार की मासिक आय तक पहुंचने के लिए आगे ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए:

ई.

आई. आश्रित परिवार के सदस्यों का शुद्ध वेतन।, पति/पत्नी/बेटा/बेटी/आश्रित अविवाहित भाई/आश्रित अविवाहित बहन।

ii.पेंशन (मासिक)

एफ.

iii.बचत और अन्य निवेशों से आय।

उपरोक्त मासिक आय पर पहुंचने के बाद, यदि यह कुल परिलब्धियों के 60 प्रतिशत से कम है (जो मृतक मृत्यु के समय प्राप्त कर रहा था) तो 15 प्रतिशत की दर से कम कर (यदि आय <आईडी1,000/- प्रति माह से अधिक है) अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर विचार किया जा सकता है।”

जी.

19. उक्त सूत्र को मामले में लागू करते समय, मृतक कर्मचारी और उसके आश्रितों के संबंध में प्रस्तुत विवरणों से यह नोट किया जाता है कि मृतक की विधवा की आय 6,845/- रुपये प्रति माह (Rs.4140-प्रति माह का मूल वेतन) थी क्योंकि वह ए थी।

एच.

985

बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओआरएस बनाम बालजीत सिंह

राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत, और उनकी पारिवारिक पेंशन 3,478/- रुपये प्रति माह थी।इस प्रकार, प्रति माह परिवार की सकल कुल आय Rs.10,323/- आती है और शुद्ध आय 7,618/- रुपये प्रति माह है।उपरोक्त सूत्र को लागू करते समय उक्त आंकड़े को ध्यान में रखा गया है और प्रत्यर्थी के मामले में उक्त सूत्र को लागू करने के बाद, हम पाते हैं कि इस तरह से प्राप्त मासिक आय कुल परिलब्धियों के 60 प्रतिशत से कम नहीं है और इस प्रकार,

प्रत्यर्थी के मामले पर उस अंक के आधार पर अनुकंपा के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी के मृत पिता की मृत्यु के समय कुल परिलब्धि 3,210/- रुपये प्रति माह थी जो मृतक के परिवार की कुल शुद्ध आय से कम है। इस प्रकार, विचाराधीन योजना के अनुसार परिवार की कुल आय कुल परिलब्धियों के 60 प्रतिशत से कम नहीं है जो मृतक अपनी मृत्यु के समय प्राप्त कर रहा था। मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय को कानून के प्रश्नों का उत्तर देने में केवल निर्णयों का उल्लेख करने के बजाय तथ्यात्मक विवरणों पर विचार करना चाहिए था।

बी.

सी.

20. जहाँ तक विधि के पहले प्रश्न का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलीलों के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी चपरासी के पद के लिए विचार किए जाने के योग्य था क्योंकि उसने अपने पिता के जीवनकाल के दौरान 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी और इस प्रकार वह उस तारीख को उक्त पद पर विचार किए जाने के योग्य था जिस दिन उसने उक्त आवेदन किया था। हमें नहीं लगता कि उक्त तर्क प्रत्यर्थी के लिए सहायक होगा क्योंकि प्रत्यर्थी योग्य नहीं है या प्रत्यर्थी की पारिवारिक आय को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा के आधार पर उक्त पद के लिए विचार किए जाने के योग्य है।

डी.

ई.

21. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी के पक्ष में कानून के प्रश्नों का उत्तर देने में सही नहीं था और इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर रहा था और विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल कर रहा था।

एफ.

22. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया जाता है और प्रत्यर्थी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। 23. पक्षकारों को अपनी-अपनी लागत वहन करनी होगी।

जी.

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

एच.